मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 10/04/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10/04/2024 को सुबह 10:30 बजे श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड की अध्यक्षता में मुरादाबाद एसईजेड की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (वाणिज्य विभाग के नामित पत्र दिनांक 3/09/2008 के अनुसार)
2. श्री जगदीश चन्द्र, सहायक डीजीएफटी, डीजीएफटी दिल्ली।
5. श्री देवेन्द्र कुमार तोमर, अधीक्षक, सीजीएसटी मुरादाबाद।
6. श्री भूपेंद्र कुमार मर्तोलिया, निरीक्षक, सीमा शुल्क, आईसीडी मुरादाबाद।
7. श्री आनंद प्रकाश, निरीक्षक, आयकर विभाग, मुरादाबाद।
6. श्री ललित वर्मा, यूपीएसआईडीए, मुरादाबाद एसईजेड के प्रतिनिधि

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान श्री (i) किरण मोहन मोहदिकर, निर्दिष्ट अधिकारी (सीमा शुल्क), नोएडा एसईजेड/मुरादाबाद एसईजेड, (ii) नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र और (iii) विकास, सहायक विकास आयुक्त, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र अनुमोदन समिति की सहायता के लिए भी मौजूद थे। यह बताया गया कि निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक शुरू हो सकती है।

C. प्रारंभ में, अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/इकाईयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

01.	**दिनांक 15/01/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।** दिनांक 15/01/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के निर्णयों के विरुद्ध कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया। अतः दिनांक 15/01/2024 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
02. 2.1	**क्षेत्र के विस्तार और निवल विदेशी मुद्रा (NFE) अनुमानों के संशोधन का प्रस्ताव।** **मैसर्स डिज़ाइनर्स इंटरनेशनल**

सुरेंद्र मलिक

1. मेसर्स डिज़ाइनर्स इंटरनेशनल ने प्लॉट नंबर एम-57 और एम-58 पॉकेट-'बी', मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र पर संचालित अपनी मौजूदा इकाई में प्लॉट नंबर एम-59, पॉकेट-'बी' के 1834 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को जोड़ने के लिए आवेदन किया था। यहां यह सूचित किया जाता है कि यूपीएसआईडीए ने अपने अनुमति पत्र संख्या SER20231224/1000/1774/89486/SIDA-IA/SEZ मुरादाबाद दिनांक 05.02.2024 के माध्यम से मेसर्स डिज़ाइनर्स इंटरनेशनल के पक्ष में प्लॉट संख्या M-59 के आवंटन को मंजूरी दे दी है।

2. इकाई ने अपने मौजूदा पांच वर्षों के ब्लॉक के लिए 7177.00 लाख रुपये के निवल विदेशी मुद्रा (NFE) के साथ अपने अनुमानित निर्यात को 7277.00 लाख तक बढ़ा दिया है।

3. इकाई के भागीदार श्री गुलाम समनानी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपना प्रस्ताव समझाया। उन्होंने बताया कि उनकी इकाई वर्तमान में यूरोप, मुख्य रूप से जर्मनी और हॉलैंड, में क्रिस्टमैन और सजावटी वस्तुओं का निर्यात कर रही है। श्री समनानी ने बताया कि उनके पास सभी निर्यात वस्तुओं के लिए 100% आंतरिक विनिर्माण है जो मुख्य रूप से लोहे और एल्यूमीनियम के साथ-साथ कुछ लकड़ी की वस्तुओं से बने होते हैं।

4. यूपीएसआईडीए के प्रतिनिधि ने बताया कि इकाई पर उनके प्लॉट के विकासक का लगभग 15.00 लाख रुपये बकाया है, जिसे तुरंत चुकाने की जरूरत है।

5. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, क्षेत्र के विस्तार के लिए मेसर्स डिज़ाइनर्स इंटरनेशनल के प्रस्ताव यानी, उनके स्वीकृति पत्र (LOA) नंबर नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) /4-412/2003-एमबीडी/13733 दिनांक 29.05.2019 में प्लॉट नंबर एम-59, पॉकेट-'बी' का क्षेत्रफल 1834 वर्ग मी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसने निवल विदेशी मुद्रा (NFE) अनुमानों के संशोधन को भी मंजूरी दे दी और यह विकासक यानी यूपीएसआईडीए के बकाया भुगतान के अधीन है:

क्रम सं.	विवरण	मौजूदा अनुमान	संशोधित अनुमान
1.	निर्यात का एफओबी मूल्य	4988.33 लाख	7277.00 लाख
2.	विदेशी मुद्रा व्यय	140.00 लाख	100.00 लाख
3.	एनएफई कमाई	4848.33 लाख	7177.00 लाख
4.	आयातित पूंजीगत सामान	0.00 लाख	80.00 लाख
5.	स्वदेशी पूंजीगत सामान	150.00 लाख	100.00 लाख
6.	स्वदेशी पूंजीगत सामान	0.00 लाख	20.00 लाख
7.	आयातित कच्चा माल	2000.00 लाख	1950.00 लाख

सुरेंद्र मलिक

	6. अनुमोदन समिति ने यह भी निर्देश दिया कि इकाई सभी पिछले वित्तीय वर्षों के लिए अपने वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) जल्द से जल्द जमा करेगी।
3. 3.1	**व्यक्तिगत सुनवाई का प्रस्ताव:** **मैसर्स ईस्ट एल्म।** 1. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स ईस्ट एल्म ने मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक नई इकाई स्थापित करने के लिए अपने आवेदन के संबंध में व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध किया था, इसलिए, आवेदक को व्यक्तिगत सुनवाई देने और उसका प्रस्ताव की समीक्षा करने के लिए मामले को अनुमोदन समिति के समक्ष रखा गया था। 2. श्री शैलेन्द्र पाल सिंह, भागीदार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और बताया कि उन्होंने मई 2020 में मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक नई इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन किया था और उन्हें आज तक विशेष आर्थिक क्षेत्र में काम करने के लिए स्वीकृति पत्र (LOA)/अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने अनुरोध किया कि या तो उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए और उन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र में काम करने की अनुमति दी जाए या प्लॉट के खिलाफ अब तक किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति के साथ उनका स्वीकृति पत्र (LOA) आवेदन रद्द कर दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि समय-विस्तार शुल्क विकासक द्वारा लगाया गया है क्योंकि उन्हें समय पर स्वीकृति पत्र (LOA) नहीं मिला, जो अनुमोदन समिति के समक्ष उनके प्रस्ताव को न रखे जाने के कारण हुआ। 3. श्री शैलेन्द्र को बताया गया कि इस अनुमोदन समिति से पहले उनका प्रस्ताव 08 बार अनुमोदन समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जा चुका है, लेकिन आवेदक द्वारा पूर्ण अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण प्रस्ताव अनुमोदन समिति में टलता रहा। यह भी बताया गया कि प्रस्ताव को 27.07.2022 को आयोजित अनुमोदन समिति में 'सैद्धांतिक मंजूरी' दी गई थी, हालांकि, प्लॉट नंबर एच-26 के लिए विकासक द्वारा समय-विस्तार पत्र के अभाव में आज तक स्वीकृति पत्र (LOA) जारी नहीं किया गया है। पॉकेट-'ए' मेसर्स ईस्ट एल्म के पक्ष में आवंटित किया गया। श्री शैलेन्द्र ने आगे कहा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यालय द्वारा अनुमोदन समिति के समक्ष अपना प्रस्ताव रखने में देरी के कारण विकासक द्वारा उन पर समय-विस्तार शुल्क लगाया गया था और अनुमोदन समिति द्वारा बार-बार नए दस्तावेज़/जानकारी मांगी गई थी। 4. इस संबंध में, विकासक ने सूचित किया है कि इकाई पर लगने वाला समय-विस्तार शुल्क और अन्य संबंधित शुल्क 797700.00 रुपये है, जिसे विकासक यानी यूपीएसआईडीए के मौजूदा नियमों के अनुसार इकाई द्वारा भुगतान किया जाना आवश्यक है। यह पूछताछ की गई कि क्या विकासक ने मेसर्स ईस्ट एल्म के प्लॉट के खिलाफ समय-विस्तार शुल्क माफ करने के लिए अनुमोदन समिति की सिफारिश पर विचार किया है, विकासक ने जवाब

सुरेंद्र मलिक

	दिया कि प्लॉट पर लगाए गए शुल्क को नियमों के अनुसार माफ नहीं किया जा सकता है और यूपीएसआईडीए और सभी टीईएफ शुल्कों का भुगतान इकाई को करना होगा। 5. यह नोट किया गया कि आवेदक और विकासक के बीच प्लॉट पर समय-विस्तार का मुद्दा अभी तक हल नहीं हुआ है, इसलिए, आवेदक (मैसर्स ईस्ट एल्म) समय-विस्तार शुल्क के मुद्दे के समाधान के लिए सक्षम प्राधिकारी, यूपीएसआईडीए से संपर्क कर सकता है। इसके अलावा, यदि आवेदक स्वीकृति पत्र (LOA) के लिए अपना आवेदन वापस लेना चाहते हैं, तो वे प्लॉट के खिलाफ अब तक किए गए भुगतान की वापसी/प्रतिपूर्ति के लिए विकासक यानी यूपीएसआईडीए से संपर्क कर सकते हैं। 6. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने आवेदक को अपना पक्ष समझाने के लिए एक और अवसर देने का निर्णय लिया, इसलिए, श्री शैलेन्द्र पाल सिंह को देरी के उनके दावे और नई जानकारी /दस्तावेजों की आवश्यकता के समर्थन में मामले में एक पूर्ण विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। 7. अनुमोदन समिति ने मामले को स्थगित करने और आवेदक से मामले में प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद इसे अनुमोदन समिति के समक्ष रखने का निर्णय लिया। इसने निर्देश दिया कि सहायक विकास आयुक्त के साथ उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली एक आंतरिक समिति मामले का संक्षिप्त विवरण तैयार करेगी और अगले अनुमोदन समिति के समक्ष रखने के लिए दोनों पक्षों (यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यालय और यूपीएसआईडीए) के तर्कों की जांच करेगी।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त

ए बिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त